

जरूरी खबर

बैंक धोखाधड़ी : अमेरिका से भारत लाया गया आरोपी

नई दिल्ली। बैंक धोखाधड़ी मामले से जुड़े एक आरोपी के खिलाफ जारी इंटरपोल रेड नोटिस होने के बाद उस अमेरिका में पकड़ा गया, जिसे भारत वापस लाया गया। अधिकारियों ने बताया कि 25 साल पुराने धोखाधड़ी मामले में आरोपी राजीव मेहता ने बैंक डॉक्यूमेंट को रोक लिया था, जिसके बाद आरोपी ने पैसा निकाल लिया था। गौरतलब है कि वर्ष 2000 से आरोपी मामले में फरार चल रहा था। अधिकारियों ने कहा कि ग्लोबल ऑपरेशंस सेंटर ने इंटरपोल चैनलों का इस्तेमाल करके नेशनल सेंट्रल ब्यूरो वाशिंगटन ने उसे अपने अधिकार क्षेत्र में ढूंढ लिया। सीबीआई प्रवक्ता ने कहा कि इंटरपोल ने सीबीआई के अपील पर 16 जून 2000 को मेहता के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया था।

हमले के दोषियों पर कार्रवाई करे पाकिस्तान

नई दिल्ली। भारत और अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान से मुंबई और पठानकोट हमले के दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग पर भारत व अमेरिका के बीच गठित संयुक्त कार्यदल की 20वीं बैठक मंगलवार को हुई। बैठक के बाद बुधवार जारी बयान में पाकिस्तान का नाम लिए बिना वर्ष 2008 में मुंबई पर हुए आतंकी हमले और वर्ष 2016 में पठानकोट हमले के दोषियों को सजा दिलाने की बात कही गई है। अधिकारियों ने इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तरफ से अधिसूचित आतंकीयों व आतंकी संगठनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग भी की गई है।

रूसी सेना में शामिल भारतीय की युद्ध में मौत

नई दिल्ली। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। उसके पार्थिव शरीर को भारत लाने की कोशिश की जा रही है। खबर है कि नौकरी का झांसा देकर उसे रूसी सेना में शामिल किया गया था। मृतक शख्स हैदराबाद का रहने वाला था। उसकी पहचान तीस वर्षीय मोहम्मद अफसान के रूप में हुई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अफसान को पिछले साल दिसंबर माह में रूस की तरफ से सहायक भूमिका के लिए बुलाया गया था। हालांकि, जब वह वहां पहुंचे तो उन्हें जबरदस्ती रूसी सेना में शामिल कर दिया गया। इसके बाद से वह यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग में लड़ रहे थे। भारतीय दूतावास के मुताबिक, मिशन भारतीय नागरिक के पार्थिव शरीर को भारत भेजने की कोशिश करेगा।

नौसैन्य कमांडरों का सम्मेलन और समुद्र में ताकत का प्रदर्शन



नई दिल्ली। नौसेना कमांडरों की कॉन्फ्रेंस मंगलवार को नौसेना के पोत पर शुरू हुई। इसके साथ नौसेना के दोनों विमानवाहक पोतों का अभ्यास भी शुरू हो गया जो भारत की बढ़ती नौसैन्य क्षमता का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इनका उद्घाटन किया। सीडीएस जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार और रक्षा सचिव गिरधर अरमाने भी इस अवसर पर उपस्थित थे।



लक्षद्वीप में नौसेना का नया बेस INS जटायु शुरू

हिंद महासागर में बढ़ेगी ताकत चीन-पाकिस्तान पर रहेगी नजर

एजेंसी। नई दिल्ली। भारतीय नौसेना ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लक्षद्वीप द्वीपसमूह में सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने के लिए बुधवार को मिनिंकाय द्वीप पर अपना नया बेस 'आईएनएस जटायु' शुरू किया। यह नौसेना की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाएगा। इस नौसैनिक बेस से हिंद महासागर क्षेत्र में पाकिस्तान, चीन, मालदीव की गतिविधियों पर न केवल नजर रखी जा सकेगी, बल्कि समुद्री लुटेरों और ड्रग्स तस्करी पर भी लगाम कसने में मदद मिलेगी।



पात्र के नाम पर रखा गया है जिसने सीता के अपहरण को रोकने की कोशिश की थी। नौसेना अध्यक्ष ने कहा कि अंडमान में पूर्व में तैनात आईएनएस बाज और अब पश्चिम में आईएनएस जटायु हमारे आंख और कान के रूप में काम करेंगे।

केजरीवाल के खिलाफ ED की एक और शिकायत केस चलाने की मांग, आज सुनवाई

एजेंसी। नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की एक अदालत में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक नई शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत में दिल्ली के कथित शराब घोटाले की जांच में बार-बार उसके समन को नजरअंदाज करने के लिए केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई है। यह शिकायत ऐसे वक्त में सामने आई है जब केजरीवाल ने आठवीं बार जांच एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। केजरीवाल ईडी के समन को अवैध और राजनीति से प्रेरित करार



देते रहे हैं। ईडी के एक अधिकारी ने बताया कि ताजा शिकायत राज उ एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत से समझ दर्ज कराई है। अदालत ने केजरीवाल को 16 मार्च तक शारीरिक उपस्थिति से छूट दे दी थी।

जारी किए गए समन का पालन नहीं करने से संबंधित है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत मामले को गुरुवार को सुनने के लिए सूचीबद्ध किया है। इससे पहले एजेंसी ने 3 फरवरी को भी इसी तरह की शिकायत दर्ज कराई थी। अदालत ने उस समय शिकायत पर संज्ञान लिया था और केजरीवाल को तलब किया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में हाजिर हुए थे। उन्होंने अदालत से मोहलत मांगी थी। अदालत ने केजरीवाल को 16 मार्च तक शारीरिक उपस्थिति से छूट दे दी थी।

मणिपुर: काम नहीं, तो वेतन नहीं नियम लागू

इंफाल। मणिपुर सरकार ने बुधवार को कार्यालय से बिना वेध और स्वीकृत कारणों से अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के लिए 'काम नहीं तो वेतन नहीं' का नियम पेश किया। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने एक परिपत्र में कहा कि कई अधिकारी कार्यालयों में उपस्थित नहीं हो रहे हैं अथवा ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में राज्य की मौजूदा कानून-व्यवस्था के कारण अपने सामान्य पोस्टिंग स्थानों पर उपस्थित होने में असमर्थ अधिकारियों को उपयुक्त, लाइन विभागों अथवा फील्ड स्तर के कार्यालयों से जोड़ा गया है।

निगरानी बढ़ना है जरूरी

नौसेना अध्यक्ष ने कहा कि मौजूदा बदलते भू-राजनीतिक घटनाक्रम के बीच निगरानी बढ़ाना बेहद जरूरी है। एक अधिकारी ने बताया कि आईएनएस जटायु की तैनाती से हमें क्षेत्र में विरोधियों की सैन्य और वाणिज्यिक गतिविधियों पर नजर रखने में मदद मिलेगी। लक्षद्वीप और मिनिंकाय द्वीपों पर नौसैनिक और हवाई सुविधाओं के उन्नयन से बुनियादी ढांचे का उन्नयन भी होगा।

सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

राज्य के वित्तीय कुप्रबंधन से इकोनॉमी होती है प्रभावित

एजेंसी। नई दिल्ली। केरल सरकार से जुड़े एक मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों द्वारा राजकोषीय कुप्रबंधन एक बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर केंद्र को चिन्तित होना चाहिए क्योंकि ऐसे मुद्दे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। साथ ही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र और केरल सरकार को मतभेदों को दूर करने की सलाह दी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी तब सामने आई जब अदालत केरल सरकार द्वारा दायर एक मुकदमे की सुनवाई कर रही थी। जिसमें भारत सरकार पर उधार लेने की सीमा लगाकर राज्य के वित्त को विनिर्भर करने के लिए राज्य की शक्तियों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया था। जस्टिस सूर्य कान्त और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने मुद्दे को

अधिकारी एक साथ बैठें और मामले को हल करें
सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा कि सभी वरिष्ठ अधिकारी निर्णय लेने में सक्षम हैं। मामले के समाधान के लिए एक साथ बैठें और इसे हल करें। केरल सरकार ने 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 15 फरवरी को हुई बैठक विवादास्पद मुद्दे को सुलझाने में असफल रही। बुधवार को केरल सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्य के पास इस मुद्दे पर आंदोलन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। सुलझाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य के बीच वार्ता सिर्फ इसलिए नहीं रुक जानी चाहिए कि याचिका अदालत में लंबित है।

युवा संसद समारोह: प्रतिभागी सम्मानित




नई दिल्ली। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर बुधवार को नई दिल्ली में संविधान सदन में आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद समारोह-2024 के प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए।

इसरो एक और ऐतिहासिक कामयाबी में जुटा

दो चरणों में लॉन्च होगा चंद्रयान-4 मिशन, लेकर आएगा मिट्टी के नमूने

एजेंसी। नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) अपने चंद्रयान-3 मिशन की सफलता के बाद अब चंद्रयान-4 मिशन की तैयारी कर रहा है। खास बात ये है कि चंद्रयान-4 मिशन दो चरणों में लॉन्च किया जाएगा और चांद पर मानव मिशन भेजने के लिहाज से यह बेहद अहम होगा। चंद्रयान-4 मिशन न सिर्फ चांद की जमीन पर लैंड करेगा, बल्कि वहां से कुछ सैंपल लेकर धरती पर वापस भी लौटेगा। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि चंद्रयान-4 मिशन में पांच स्पेसक्राफ्ट मॉड्यूल शामिल किए



जाएंगे। साथ ही इसे दो रॉकेट की मदद से दो चरणों में लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान-4 में चंद्रयान-3

मॉड्यूल भी होंगे। यही दो मॉड्यूल चांद की सतह से वहां की मिट्टी और पत्थर लेकर धरती पर वापस लौटेंगे। चंद्रयान-4 को पहले चंद्रयान-3 के लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद यह चांद पर लैंड करेगा। चांद पर अपने सभी टास्क पूरी करने के बाद इसे फिर धरती पर सैपल पहुंचाने के लिए लॉन्च किया जाएगा। पहली बार लॉन्चिंग के वक्त चंद्रयान-4 का कुल वजन 5200 किलोग्राम होगा, जबकि चांद से जब ये धरती की ओर लॉंच होगा तब इसका वजन 1527 किलोग्राम रखा जाएगा, ताकि ये आसानी से धरती के ऑर्बिट में दाखिल हो सके।

एलवीएम-3 और पीएसएलवी दोनों रॉकेट का होगा इस्तेमाल

चंद्रयान-4 मिशन में इसरो अपने एलवीएम-3 और पीएसएलवी दोनों रॉकेट का इस्तेमाल करेगा। पहले एलवीएम-3 लॉन्च कीकल प्रोपल्शन मॉड्यूल, डिसेंडर मॉड्यूल और असेंडर मॉड्यूल को लेकर उड़ान भरेगा। इसके बाद ट्रांसफर मॉड्यूल और रि-एंट्री मॉड्यूल को लेकर पीएसएलवी लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन को लेकर इसरो आने वाले दिनों में और ज्यादा जानकारी देगा।

ये पांच मॉड्यूल भेजे जाएंगे

- प्रोपल्शन मॉड्यूल:** ये चंद्रयान-3 की तरह ही होगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग होने से पहले चंद्रयान-4 को चंद्र कक्षा में मार्गदर्शन करेगा। रॉकेट से अलग होने के बाद धरती की ऑर्बिट से लेकर चांद की ऑर्बिट में एंटी तक की जिम्मेदारी प्रोपल्शन मॉड्यूल की होगी।
- डिसेंडर मॉड्यूल:** यह मॉड्यूल चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर की तरह ही चंद्रमा पर लैंडिंग करेगा।
- असेंडर मॉड्यूल:** एक बार जब सभी सैपल कलेक्ट हो जाएंगे तो फिर असेंडर मॉड्यूल लैंडर से बाहर निकल जाएगा और पृथ्वी पर लौटाना शुरू कर देगा। नमूने इकट्ठे करने के बाद यह चंद्रमा की सतह से उड़ान भरने और ट्रांसफर मॉड्यूल के साथ धरती की ऑर्बिट तक पहुंचाने का काम इसी मॉड्यूल का होगा।
- ट्रांसफर मॉड्यूल:** यह असेंडर मॉड्यूल को पकड़ने और इसे चांद की कक्षा से बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार होगा। चंद्रमा और मिट्टी के नमूनों के साथ कैप्सूल के अलग होने से पहले यह पृथ्वी पर वापस आ जाएगा।
- री-एंट्री मॉड्यूल:** यह चांद की मिट्टी ले जाने वाला कैप्सूल होगा। चांद के नमूनों को धरती पर सफल लैंड करने की जिम्मेदारी री-एंट्री मॉड्यूल की होगी।

दैनिक हिन्दी अखबार

सच बेधड़क

“सच बेधड़क” दैनिक हिन्दी अखबार की प्रति PDF के माध्यम से मुफ्त प्राप्त करने के लिए इस लिंक पर Click कीजिए



Telegram

<https://rb.gy/3bkrnl>

